न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 195/2022

अनवान : –

1. सरोज पुत्री पालाराम जाति धानक निवासी ललानाबारा आरादा तहसील नोहर हाल भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. पालाराम पुत्र मोमनराम जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
2. रणवीर पुत्र पालाराम जाति धानुक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये वहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादिया व प्रतिवादीगण स. 1 व 2 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ललानाबास उत्तरदार तहसील नोहर के ख.न. 78 की 28 बीघ 5 बिस्वा भूमि ख.न. 109 की 67 बीघा 8 बिस्वा ख.न. 157 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुल तादादी 102 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी जिसमें सांवत व की थी सांवत कुआरा फौत हो गया है जिसका एक मात्र वारिस मोमनराम था। मोमनराम की मृत्यु के पश्चात विरास्तन पुत्रो के नाम दर्ज हुई है।

वादीया व प्रतिवादीगण की सयुक्त हिन्दु खानदान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा की जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 के खाता सं, 100 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्तमान में अन्य खातेदारान के साथ 1145/6458 हिस्सा भूमि दर्ज है अर्थात 1. 145 हैक्टर बनता है। वादिया व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि कूल कृषि भूमि 2398 हिस्सा थी अर्थात 119 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी वादीया के दादा मोमन की मृत्यु के पश्चात वादिया के पिता पालाराम प्रतिवादी सं. 1 के नाम 599–1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है। जिसमें वादीया का 1/3 हिस्सा भूमि यानि बाई बर्थ राईट था अर्थात पालाराम प्रतिवादीगण का केवल मात्र 1/3 हिस्सा था किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने हक से ज्यादा भूमि करीब 25 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय कर दिया क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 नशे व दुर्व्यसनो की का आदि है अपने दुर्व्यासनो की लते पुरी करने के लिए अपने हक से ज्यादा भूमि का विक्रय प्रतिवादीगण ने मिलकर किया है इसलिए अब केवल मात्र 1.145 हैक्टर भूमि शेष रही है अतः न्यायालय से घोषणा करापाने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण ने बिना जायज जरूरत दादालाई भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विक्रय किया है तथा अपने हक से ज्यादा भूमि का विक्रय किया है। और वादिया के हक को भी विक्रय किया है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाकर वादिया अकेली अपने नाम खातेदारी की घोषणा करापाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादीगण ने मिलकर अपने हक से ज्यादा वादिया के हक व हकुक का विक्रय किया है तथा अपने दुव्यसनो की पूर्ति हेतु कोड़ियों के दाम में तथा कुछ बिना प्रतिफल के ही विक्रय किया है जो उसे विक्रय करने का अधिकार नही था इसलिए बैयनामें की नकले लेकर सिविल न्यायालय से अलग से वैयनामें केन्सीलेशन का दावा करेगी इसलिए इस वाद में अपना पूरा हिस्सा अर्थात करीब 10 बीघा भूमि बनता है इसलिए अन्य खातेदारो के विरूद्ध वाद पेश नहीं किया है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दादालाई खातेदारी भूमि जो रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 के खाता सं. 100 में 1145/6458 हिस्सा भूमि दर्ज है को विक्रय करने की फिराक है तथा अपने दुव्यसनो की पूर्ति हेतु कोड़ियों के भाव विक्रय करना चाहता है जबकि वाद भूमि में उसका कोई हक व हिस्सा शेष नही है अतः जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करापाने का अधिकारी है कि वाद भूमि को किसी भी प्रकार से रहन/बैय अथवा मुन्तकिल न करे एवं वादी वादीया घोषणा की जावे की रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 के खाता सं, 100 में दर्ज पालाराम प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूमि दादालाही है जिसमें वादिया का जन्म से हक व हिस्सा है। बाद घोषणा प्रतिवादीगण ने अपने हक से ज्यादा भूमि का विक्रय कर दिया है इसलिए पालाराम का दर्ज हिस्सा 1145/6458 हिस्सा भूमि में पालाराम का नाम कलमजन कर वादिया का दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादीया व प्रतिवादीगण की सयुक्त हिन्दु खानदान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा की जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 के खाता सं, 100 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्तमान में अन्य खातेदारान के साथ 1145/6458 हिस्सा भूमि दर्ज है

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अर्थात 1.145 हैक्टर बनता है। वादिया व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि कूल कृषि भूमि 2398 हिस्सा थी अर्थात 119 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी वादीया के दादा मोमन की मृत्यु के पश्चात वादिया के पिता पालाराम प्रतिवादी सं. 1 के नाम 599–1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है। जिसमें वादीया का 1/3 हिस्सा भूमि यानि बाई बर्थ राईट था अर्थात पालाराम प्रतिवादीगण का केवल मात्र 1/3 हिस्सा था किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने हक से ज्यादा भूमि करीब 25 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय कर दिया क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 नशे व दुर्व्यसनो की का आदि है अपने दुर्व्यासनो की लते पुरी करने के लिए अपने हक से ज्यादा भूमि का विक्रय प्रतिवादीगण ने मिलकर किया है इसलिए अब केवल मात्र 1.145 हैक्टर भूमि शेष रही है अतः न्यायालय से घोषणा करापाने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण ने बिना जायज जरूरत दादालाई भूमि को विक्रय किया है तथा अपने हक से ज्यादा भूमि का विक्रय किया है। और वादिया के हक को भी विक्रय किया है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाकर वादिया अकेली अपने नाम खातेदारी की घोषणा करापाने की अधिकारिणी है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 100/107 की कुल 6.4580 हैक्ट भूमि में से 1145/6458 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि में से अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया जा चुका है। अब प्रतिवादी स0 1 के नाम केवल 1.145 हैक्ट भूमि शेष बची है जिसमें प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीया द्वारा प्रस्तुत दसतावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा वादीया द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है लेकिन वादीया द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा पूर्व में अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया जा चुका है इसलिए उक्त वाद भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे परन्तु वादीया द्वारा केवल मात्र कथन किया गया है अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादी स0 1 द्वारा पूर्व में भूमि का बेचान किया गया हो इसलिए उक्त भूमि में वादीया को अकेली खातेदारी खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नही है जबकि वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अत वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीया आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 100/107 की कुल 6.4580 हैक्ट भूमि में से 1145/6458 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीया व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....14/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 195/2022

अनवान : –

1. सरोज पुत्री पालाराम जाति धानक निवासी ललानाबारा आरादा तहसील नोहर हाल भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. पालाराम पुत्र मोमनराम जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
2. रणवीर पुत्र पालाराम जाति धानुक निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये वहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 195 सन 2022 निर्णय दिनांक 14/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 100/107 की कुल 6.4580 हैक्ट भूमि में से 1145/6458 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीया व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर